

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5

लखनऊ दिनांक 14 फरवरी, 2017

विषय: जनपद लखनऊ सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-III, पार्ट-1 के अन्तर्गत फैजुल्लागंज, त्रिवेणी नगर एवं जानकी पुरम में कनेक्टिंग चैम्बर के निर्माण की निर्धारित लागत ₹0 2239.87 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (नागर) 30प्र0 जल निगम का पत्र सं0-209/नागर-2/033-0410/16, दिनांक 18.10.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद लखनऊ सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-III, पार्ट-1 के अन्तर्गत फैजुल्लागंज, त्रिवेणी नगर एवं जानकी पुरम में कनेक्टिंग चैम्बर के निर्माण की निर्धारित लागत ₹0 2239.87 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ प्रथम किश्त के रूप में ₹0 200.00 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-247/2015-1522/नौ-5-2015-93बजट/2015, दिनांक 23.07.2015 द्वारा अवमुक्त की गयी, का व्यय हो जाने के आलोक में द्वितीय किश्त के रूप में ₹0 1000.00 लाख (₹0 दस करोड़ मात्र) को संलग्न बी0एम0 प्रपत्र-9 के अनुसार अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 जल निगम लखनऊ तथा सचिव/ विशेष कार्याधिकारी, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए/डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
- (2) स्वीकृत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/ डाकघर/ पीएलए/डिपोजित खाते में नहीं रखी जायेगी ।
- (3) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय ।
- (4) स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
- (5) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा ।
- (6) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत नियामों/प्रविधानों के अनुसार किया जायेगा।
- (7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।



- (8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।
- (9) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।
- (10) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाय।

2- वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोनागत लेखाशीर्षक "2217- शहरी विकास -05-अन्य शहरी विकास योजनाये-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन-35-पूजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान" से आहरित कर लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई-02-मल जल तथा सफाई-107-मल जल सेवार्ये-03-सीवरेज एवं जल निकासी हेतु व्यवस्था-35-पूजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22.03.2016 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भगदीय



(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी ।

संख्या-49/2017-327(1)/नौ-5-17-93बजट/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- जिलाधिकारी, लखनऊ ।
- 3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
- 4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- 5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र0 लखनऊ ।
- 6- नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ ।
- 7- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
- 8- मुख्य अभियंता (ल0क्षे0), 30प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
- 9- महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण, इकाई जल निगम, लखनऊ ।
- 10- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं नियोजन अनुभाग- 3/4
- 11- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, 30प्र0 शासन।
- 12- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,



(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी ।

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण					वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।
तेखाशीर्ष (१५ डिजिट कोड में) आयोजनागत (राजस्व लेखा)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (२-५)
१	२	३	४	५	६
२२१७- शहरी विकास -०५-अन्य शहरी विकास योजनाये-१९२-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-०४-नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन-३५-पूजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"	९०००००	१०००००	१०००००	१०००००	८०००००
योग	९०००००	१०००००	१०००००	१०००००	८०००००
निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण					वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।
तेखाशीर्ष (१५ डिजिट कोड में) आयोजनागत (राजस्व लेखा)	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (९-८)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (८+१)
७	८	९	१०	११	१२
२२१५- जल पूर्ति तथा सफाई-०२-मल जल तथा सफाई-१०७-मल जल सेवाये-०३-सीवरेज एवं जल निकासी हेतु व्यवस्था-३५-पूजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"	१०००००	२०००००	१०००००	१०००००	२०००००
योग	१०००००	२०००००	१०००००	१०००००	२०००००

स्तम्भ-३ में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

- (१) सीवरेज कार्यक्रम के अन्तर्गत परिपक्व प्रस्ताव उपलब्ध न होने के कारण बचत हो रही है।
- (२) स्तम्भ ८ में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ ९ में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-
नागर निकायों के लिये सीवरेज कार्य हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध न होने के कारण परिपक्व प्रस्ताव के सापेक्ष अधिक धनराशि की आवश्यकता है।
- (३) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ.प्र. बजट मैन्युअल के प्रस्तर- १५० व १५१ में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर०ई०संख्या- ४६३ -ई- ८- २५१ /दस-२०१७, दिनांक १३ फरवरी, २०१७

सेवा में, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्यधिकारी,
नगर विकास विभाग।

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या-४९/२०१७-३२७(१) /नौ-५-२०१७- ९३ बजट/२०१५ तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), ३०प्र० इलाहाबाद।
- २- जिलाधिकारी, लखनऊ ।
- ३- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
- ४- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- ५- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, ३०प्र० लखनऊ ।
- ६- नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ ।
- ७- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
- ८- मुख्य अभियंता (ल०क्षे०), ३०प्र० जल निगम, लखनऊ ।
- ९- महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण, इकाई जल निगम, लखनऊ ।
- १०- वित्त (ई-८) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-१/२ एवं नियोजन अनुभाग- ३/४
- ११- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, ३०प्र० शासन।
- १२- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्यधिकारी।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017
आवंटन दिनांक-14/02/2017


प्रेषण संख्या:- 49
आवंटन आदेश संख्या:- 001-49-2017-327-9-5-17-93B-2015
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
107 - मल - जल सेवाएं
03 - सीवरेज एवं जलनिकासी हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	100000000 400000000	100000000 400000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	100000000 400000000	100000000 400000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रुपया दस करोड़

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रुपया चालीस करोड़


(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी